

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (ग0प्र0)

क्रमांक/गोपनीय/2020/.....23

रीवा दिनांक ...26.9.2020

अधिरूचना


मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय के आदेश भोपाल दिनांक 13.08.2020 के परिपालन में रनातक, रनातकोत्तर परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार पारिश्रमिक दर का निर्धारण किया जाता है।

1. संग्रहण केन्द्रों में संग्रहण हेतु एक केन्द्राध्यक्ष, एक कार्य सहायक, एक भृत्य मात्र दो दिवस के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे।
2. अग्रणी महाविद्यालयों में उ0 पु0 के संकलन व व्यवस्थापन हेतु एक केन्द्राध्यक्ष, दो सहायक केन्द्राध्यक्ष, दो कार्य सहायक, दो भृत्य मात्र दो दिवस के लिये नियुक्त किये जा सकेंगे।
3. स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाईनमेंट मूल्यांकन हेतु रु0 5/- (पाँच) प्रति परीक्षार्थी (न्यूनतम 100 रु0) की दर से मानदेय भुगतान किया जाएगा।
4. प्राचार्य अग्रणी (नोडल) महाविद्यालयों को केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु पूर्व में निर्धारित दर अनुसार 0.50 (पचास पैसे) प्रति उ0 पु0 की दर से राशि देय होगी। इसी से वह समन्वयक/सह समन्वयक/सहयोगी कर्मचारियों के लिए कार्य अनुसार भुगतान करेंगे।
5. वाहन के सम्बन्ध में अग्रणी महाविद्यालयों को संग्रहण केन्द्रों से उ0 पु0 भंगवाने हेतु सामान्यतया 2 वाहन 2 दिवस के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

वाहन व्यवस्था हेतु-


विश्वविद्यालय द्वारा वाहन हेतु मान्य दर रुपये 850/- प्रति दिवस प्रति वाहन 10 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से डीजल का भुगतान किया जाता है, परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एवं कोविड-19 के प्रोटोकाल के हिसाब से सुरक्षा मानकों को लागू किये जाने पर आने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुये मात्र इस परीक्षा में संकलन कार्य में दो दिवस के लिये लगे वाहनों के लिये रुपये 650/- प्रति दिवस के स्थान पर रुपये 800/- भुगतान देय होगा।

समस्त नोडल केन्द्र 10.10.2020 तक अनिवार्य रूप से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि शासन के आदेशानुसार परीक्षा परिणाम दिनांक 20.10.2020 तक घोषित किये जा सकें।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्राचार्य,समस्त अग्रणी महाविद्यालय/नोडल केन्द्र
2. प्रमुख सचिव महोदय, उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3. अतिरिक्त संचालक महोदय, उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु उपलब्ध करायें।
5. वित्त नियंत्रक, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
6. सहायक संचालक, स्थानीय शिक्षा अपरीक्षा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
7. माननीय कुलसचिव जी के सचिव/कुलसचिव के प्रिजेंट सहायक।


26/9/2020
सहायक संचालक (गोपनीय)